अनुबंध ।

अधिकतम अनुमेय लाभांश की गणना के उदाहरण

नोट: यह गणना केवल बैंकों को निदेशों को समझने में सहायता करने के उद्देश्य से उदाहरण स्वरूप दी गई है।

उदाहरण 1: वित्त वर्ष 20X1-X2 के लिए अधिकतम अनुमेय लाभांश की गणना

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 20X1-X2 के लिए निवल लाभ (ए)	17,000
31 मार्च, 20X2 को निवल एनपीए (बी)	6,500
समायोजित कर पश्चात लाभ, अर्थात् (सी) = (ए) – (बी) का 50%	13,750
31 मार्च, 20X1 को सीईटी 1 अनुपात (डी)	11.72%
सीईटी 1 अनुपात बकेट बी3 में आता है	
कर पश्चात लाभ का 75% (ई)	12,750
सारणी 1 के अनुसार अधिकतम देय (13,750 का 30%) (एफ)	4,125
अधिकतम पात्र लाभांश (यानी, (ई) या (एफ) में से जो भी कम हो)	4,125
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में अधिकतम पात्र लाभांश	24.26%

उदाहरण 2: वित्त वर्ष 20X1-X2 के लिए 8.2% की न्यूनतम विनियामक सीईटी आवश्यकता (डी-एसaiबी बफर सहित) वाले डी-एसआईबी के लिए अधिकतम अनुमेय लाभांश की गणना

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 20X1-X2 के लिए निवल लाभ (ए)	40,500
31 मार्च, 20X2 को निवल एनपीए (बी	5,000
समायोजित कर पश्चात लाभ, अर्थात् (सी) = (ए) – (बी) का 50%	38,000
31 मार्च, 20X1 को सीईटी अनुपात (डी)	15%
सीईटी 1 अनुपात बकेट बी5 में आता है	-
कर पश्चात लाभ का 75% (ई)	30,375
सारणी 1 के अनुसार अधिकतम देय (38,000 का 50%) (एफ)	19,000
अधिकतम पात्र लाभांश (अर्थात् (ई) या (एफ) में से जो भी कम हो)	19,000
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में अधिकतम पात्र लाभांश	46.91%

उदाहरण 3: वित्त वर्ष 20X1-X2 के लिए अधिकतम पात्र लाभांश की गणना

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 20X1-X2 के लिए निवल लाभ (ए)	1,500
31 मार्च, 20X2 को निवल एनपीए (बी)	300

समायोजित कर पश्चात लाभ, अर्थात् (सी) = (ए) – (बी) का 50%	1,350
31 मार्च, 20X1 को सीईटी अनुपात (डी)	24.36%
सीईटी 1 अनुपात बकेट बी10 में आता है	
कर पश्चात लाभ का 75% (ई)	1,125
सारणी 1 के अनुसार अधिकतम देय (1,350 का 100%) (एफ)	1,350
अधिकतम पात्र लाभांश (अर्थात्, (जी) = (ई) या (एफ) हो में से जो भी कम हो)	1,125
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में अधिकतम पात्र लाभांश	75%
वित्त वर्ष 20X1-20X2 के लिए भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (एच)	500
चूंकि बैंक पहले ही ₹500 करोड़ का अंतरिम लाभांश दे चुका है, अंतिम लाभांश (जी) – (एच) से अधिक नहीं होगा	625